न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	524/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	567/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010015032026

गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह निवासी दशमेश नगर हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन की प्राथमिकी सं0 459/2025 से संबंधित विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0 478/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 126(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री बलराम भीड़ासरा, अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 24.07.2026**

1. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन की प्राथमिकी सं0 459/2026 से संबंधित नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0 478/2025 में प्रार्थी/अभियुक्त गुरप्रीत सिंह की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 21.07.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 11.07.2025 को परिवादी भागीराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में इस आशय की पेश की कि वह और उसका छोटा भाई शंकरलाल अपनी रिश्तेदारी में गांव सालीवाला आये हुए थे। आज दिनांक 11.07.2025 को समय करीब 5.00 बजे शाम को वे साडू नारायण के घर मिलने इन्दिरा कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन जा रहे थे। जब वे रेल्वे स्टेशन की चार दीवारी निकलकर वेयर हाऊस की तरफ जाने लगे तो 4–5 आदमी एकदम रेल्वे स्टेशन की तरफ से आये व उसे पकड़ लिया व उसके दोनों कानों में पहने सोने के दोनों गुरदों को खींच कर तोड़ लिया, जिससे दोनों कानों में चोट आने से खून निकल रहा है व जेब में से 1800/– रूपये, उसका मोबाईल फोन, आधारकार्ड व रोडवेज बस के कार्ड को निकाल

लिया। उसने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ धक्कामुक्की की गई व कपड़े फाड़ दिये। उसके भाई शंकरलाल को पकड़कर उसकी जेब में से 1450/– रूपये व आधारकार्ड जबरदस्ती निकाल लिये। उन्होंने रोला मचाया तो उसके साडू का लड़का ओमप्रकाश, जो उन्हें लेने रेल्वे स्टेशन की तरफ आया हुआ था, भागकर आया और ललकारा तो वे लोग भाग गए। ओमप्रकाश ने बताया कि उनमें एक लड़के का नाम विकास, एक गुरप्रीत उर्फ निन्जा उर्फ गोरू, गुरप्रीत सिंह व अन्य है, जिन्हें वह अच्छी तरह जानता है आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में प्राथमिकी सं. 459/2025 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया है। पूर्व में जिन तीन अभियुक्तों की जमानत इस न्यायालय से खारिज हुई थी, उनकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत हो चुकी है, जिनमें से दो अभियुक्त फरार चल रहे हैं, विचारण न्यायालय में नहीं आ रहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को अभिरक्षा में क्यों रख रखा है। प्रार्थी/अभियुक्त करीब 10 माह से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा धारा 309(4), 126(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता का गंभीर आरोप है। पूर्व में सह–अभियुक्तगण व इसी अभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार की जा चुकी है। समाज में इस तरह की घटनाओं में दिन–प्रति–दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
1	146/2019	–	–	–	–	–	–
2	404/2022 हनुमानगढ़ टाऊन	–	342, 323, 365, 382, 34 भा.दं.सं. व 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट	–	चालान दि. 01.11.22	–	–
3	427/2023 हनुमानगढ़ टाऊन	–	382, 34 भा.दं.सं.	–	चालान दि. 16.10.23	–	–
4	659/2024 हनुमानगढ़ जंक्शन	–	126(2), 115(2), 3(5) बी.एन.एस.	–	चालान दि. 04.04.25	–	–

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी भागीराम व उसके भाई

शंकरलाल का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ मारपीट कर परिवादी भागीराम से 1800/– रूपये, मोबाईल, आधारकार्ड व रोडवेज कार्ड तथा शंकरलाल से 1450/– रूपये व आधारकार्ड की लूट कारित करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4), 115(2), 126(2), 3(5) का आरोप है। प्रश्नगत घटना दिन में 5 बजे कारित की गई है, जो प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीर प्रकृति की ओर इंगित करती है। वर्तमान में आमजन के साथ लूट की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही है। प्रार्थी/अभियुक्त से लूट गये रूपयों में से 1,300/– रूपये की बरामदगी होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के चार आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होने बताये गये हैं। सह–अभियुक्तगण व प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जा चुके हैं। सह–अभियुक्तगण की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत होना बताया गया है, परन्तु उनमें से दो अभियुक्तगण के फरार चल रहे होना भी बताया गया है, जिससे बाद जमानत प्रार्थी/अभियुक्त के भी फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त गुरप्रीत सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 24.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

MANISH KUMAR
STENO GRADE Ist
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.08.01 11:54:36 +0530